संख्या- 1294 /X-2-2011-12(13)/2011

प्रेषक,

**सुशांत पटनायक**
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

**अपर प्रमुख वन संरक्षक**
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 01 जुलाई, 2011

**विषयः-वन विभाग के अनुदान सं0-27 आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्या-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा आपके कार्यालय के पत्रांक नि-1535/3-3(1) दिनांक 26 अप्रैल, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष में संचालित योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के अतिरिक्त संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार ₹ 1,98,90,000/- (₹ एक करोड़ अठानब्बे लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

7. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्यियिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस समबन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्यियिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

9. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

10. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जावा सुनिश्चित किया जाय.

12. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखा शीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा.

3- ये आदेश वित्त विभाग (अनुभाग-1) के शासनादेश संख्या 209//XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः...3

संख्या- 1294 (1)/X-2-2011, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव

शासनादेश सं0-1294/IX-2-2011-12(13)/2011 दिनांक 01 जुलाई, 2011 का संलग्नक-

(धनराशि ₹ हजार में)

| क0 सं0 | योजना का नाम / लेखा शीर्षक/मानक मद | आय-व्ययक प्रावधान | प्रथम निर्गत वित्तीय स्वीकृति | अवशेष बजट प्राविधान | वित्तीय स्वीकृति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2406- वानिकी तथा वन्य जीवन | | | | |
| | 01- वानिकी | | | | |
| | 001- निदेशन तथा प्रशासन | | | | |
| 1 | 03-00- सामान्य अधिष्ठान | | | | |
| | 05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 2000 | 500 | 1500 | 1500 |
| | 07- मानदेय | 100 | 25 | 75 | 75 |
| | 08- कार्यालय व्यय | 3500 | 875 | 2625 | 2625 |
| | 11- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई | 700 | 175 | 525 | 525 |
| | 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1000 | 250 | 750 | 750 |
| | 16- व्यवसायिक सेवा के लिए भुगतान | 1800 | 450 | 1350 | 1350 |
| | 18- प्रकाशन | 800 | 200 | 600 | 600 |
| | 19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 800 | 200 | 600 | 600 |
| | 22- आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि | 500 | 125 | 375 | 375 |
| | 23- गुप्त सेवा व्यय | 500 | 125 | 375 | 375 |
| | 25- लघु निर्माण | 400 | 100 | 300 | 300 |
| | 26- मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयत्र | 250 | 62 | 188 | 188 |
| | 31- सामग्री और सम्पूर्ति | 2000 | 500 | 1500 | 1500 |
| | 42- अन्य व्यय | 1000 | 250 | 750 | 750 |
| | 44- प्रशिक्षण व्यय | 500 | 125 | 375 | 375 |
| | 45- अवकाश यात्रा व्यय | 250 | 62 | 188 | 188 |
| | 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय | 300 | 75 | 225 | 225 |
| | 47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय | 600 | 150 | 450 | 450 |
| | **योग-001-03-00** | **17000** | **4249** | **12751** | **12751** |
| | | | | | |
| | 04-00- **वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति** | | | | |
| | 08- कार्यालय व्यय | 57 | 14 | 43 | 43 |
| | 11- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई | 60 | 15 | 45 | 45 |
| | 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 50 | 12 | 38 | 38 |
| | 17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व | 200 | 50 | 150 | 150 |
| | 22- आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि | 100 | 25 | 75 | 75 |
| | **योग-001-04-00** | **467** | **116** | **351** | **351** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101- | वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण | | | | |
| 3 | 03-00- | वनों की सुरक्षा | | | | |
| | 26- | मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयत्र | 150 | 37 | 113 | 113 |
| | | **योग–101–0300** | **150** | **37** | **113** | **113** |
| 4 | 04-00- | वन बन्दोबस्त | | | | |
| | 42- | अन्य व्यय | 500 | 125 | 375 | 375 |
| | | **योग–101–0400** | **500** | **125** | **375** | **375** |
| | | **योग (03–00+04–00)** | **650** | **162** | **488** | **488** |
| | | | | | | |
| | 105- | वन उत्पाद | | | | |
| 5 | 03-00- | इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरण द्वारा निकाली गई वन उपज | | | | |
| | 42- | अन्य व्यय | 4000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| | | **योग–105–0300** | **4000** | **1000** | **3000** | **3000** |
| | | | | | | |
| 6 | 04-00- | लीसा | | | | |
| | 08- | कार्यालय व्यय | 400 | 100 | 300 | 300 |
| | 11- | लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई | 500 | 125 | 375 | 375 |
| | 26- | मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 500 | 125 | 375 | 375 |
| | | **योग–105–0400** | **1400** | **350** | **1050** | **1050** |
| | | | | | | |
| | | **800–अन्य व्यय** | | | | |
| 5 | 16-00- | उत्तरांचल वन विकास निधि का गठन | | | | |
| | 20- | सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 3000 | 750 | 2250 | 2250 |
| | | **योग–800–1600** | **3000** | **750** | **2250** | **2250** |
| | | **कुल योग** | **26517** | **6627** | **19890** | **19890** |

**(वर्तमान स्वीकृति ₹ एक करोड़ अठानब्बे लाख नब्बे हजार मात्र)**

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव